# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 167/2017 दायरा दिनांक : 11.10.2017**

**उनवान**

1— रामदयाल पुत्र श्री केदारलाल, जाति मीणा, निवासी हिगोनियां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— हरिमोहन पुत्र रामदयाल, जाति मीणा, निवासी हिगोनियां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

**बनाम**

1— प्रेमशंकर पुत्र रामनाथ, जाति मीणा, निवासी हिगोनियां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय दिनांक : 29.05.2018**

**1** यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या — 438/2016 निर्णय दिनांक 29.08.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 251 ए पेश कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 5.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 311 रकबा 1.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.50 हेक्टर, 303 रकबा 0.43 हेक्टर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.24 हेक्टर ग्राम पाडलिया, तहसील मांगरोल में स्थित है । वादी के खसरा नम्बर 321 में ट्यूववेल लगा हुआ है । वादी के खसरा नम्बर 321 व अन्य खसरा नम्बर के बीच में प्रतिवादी नम्बर 1 की आराजी खसरा नम्बर 313 रकबा 4.62 हेक्टर, खसरा नबरा 327 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.89 हेक्टर स्थित है । वादी एवं अन्य खेतों में काश्त करने वालों के आने जाने के लिए व ट्रेक्टर व कृषि उपकरण लाने व ले जाने के लिए मात्र एक ही रास्ता है जो प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 313, 327, 328 की मेड़ पर होकर जाता है जिस रास्ते से वादी लगभग 50–60 वर्षों से काश्त करने के लिए आता जाता है व अन्य काश्तकार भी इस रास्ते से आते जाते हैं । प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 लडाकू झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने रास्ते को ट्रेक्टर से हांक कर नष्ट कर दिया है जिससे वादी को अपने खाते की आराजी पर आने जाने में परेशानी हो रही है । फसल नष्ट होने के कगार पर है । कानूनन आवश्यक हो गया है कि नया रास्ता कायम किया जाये । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी के खसरा नम्बर 321 रकबा 5.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 311 रकबा 1.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.50 हेक्टर, 303 रकबा 0.43 हेक्टर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.24 हेक्टर पर आने जाने वाले रास्ते को रेकार्ड में दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.08.2017 को वादी का दावा सशर्त स्वीकार कर डिक्री पारित की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी दिनांक 21.08.2017 को अपीलांट का जवाब बन्द करके एक तरफा निर्णय पारित किया गया है और दिनांक 29.08.2017 को तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांट को सूचना नहीं दी गई है । अपीलांट की गैर मौजूदगी में रिपोर्ट तैयार की गई है और रिपोर्ट में रामकरण पुत्र माधो, भूली बेवा माधो की आराजी का भी हिस्सा है परन्तु उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है । दिनांक 21.08.2017 व दिनांक 29.08.2017 की आदेशिका में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है । दिनांक 29.08.2017 की आदेशिका को लिखकर काटा गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 251 ए के तहत रास्ता कायम किया गया है । अपीलांट की गैर मौजूदगी में रिपोर्ट बनायी गयी है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । डी एल सी की रेट से भुगतान नहीं किया गया है । हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है । निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

6 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रास्ता कायम किया है । अपीलांट

को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया गया था । पैसे जमा कराने की शर्त पर रास्ता कायम किया गया है । रेस्पोडेंट पैसा जमा कराने को तैयार हैं । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

7 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब में लम्बित थी । दिनांक 21.08.2017 को प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है और उनका जवाब बन्द किया गया था । इसमें आगामी तिथि 29.08. 2017 दी गई थी । दिनांक 21.08.2017 की आदेशिका में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं । दिनांक 29.08.2017 की आदेशिका के अनुसार तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता कायम किया गया है और भुगतान किये जाने की शर्त पर रास्ता अंकित करने के आदेश दिये हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । क्योंकि यदि धारा 251 ए के तहत रास्ता कायम किया जाता है तो पहले डी एल सी दर के आधार पर मुआवजा राशि न्यायालय को निर्धारित करनी होती है उसके उपरान्त ही रास्ता कायम किया जा सकता है । पत्रावली पर दिनांक 27.07.2017 की पटवारी हल्का की रिपोर्ट सलंग्न है जिसको तहसीलदार के द्वारा उपखण्ड अधिकारी को अग्रेषित किया गया है । इसमें रास्ते में आने वाली आराजी और उनके खातेदारों का नाम अंकित किया गया है । इसमें श्यामपुरा की रामकरण पुत्र माधो की आराजी ग्राम पाडलिया की रामदयाल पुत्र केदार की आराजी ग्राम पाडलिया की ही प्रेमशंकर पुत्र रामनाथ, भूलीबाई बेवा माधो की आराजी और कुछ सिवाय चक बंजड़ आराजी का भी हवाला दिया गया है परन्तु प्रकरण में प्रेम शंकर पुत्र रामनाथ, रामकरण पुत्र माधो, भूली बेवा माधो को पक्षकार नहीं बनाया गया है और उनके खाते की आराजी से रास्ता कायम किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थना पत्र और तहसीलदार की रिपोर्ट में यह अंकित है कि मौके पर रास्ता बना हुआ है । 40 – 50 वर्षों से यहां रास्ता है । यदि पुराने

रास्ते के खुलासे का प्रकरण है तो यह धारा 251 ए का प्रकरण न होकर धारा 251 का प्रकरण बनता है जिसका क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी नहीं न होकर तहसीलदार को है । अपीलांट जो कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी हैं उनको भी मौका रिपोर्ट बनाते समय मौके पर नहीं बुलाया गया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध पाते हैं जो खारिज होने योग्य है ।

8 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 7 में विवेचन के अनुसार सर्वप्रथम यह निर्धारित करें कि प्रकरण धारा 251 का है अथवा 251 ए का । यदि प्रकरण 251 ए का बनता है तो विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए समस्त हितबद्ध पक्षकारो को सुनवायी का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.08.2018 को उपस्थित होवे ।

9 निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा